


मा. नं. 0/3 मरिया भू. रा. 0/2018/0168/

न्यायालय में श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प कोर्ट रीवा
जिला रीवा म०प्र०

61



अध्यायी सप्तोत्तर प्रश्ना
"स्वाती" इति प्रश्ना
12-3-18
म
कैम्प कोर्ट रीवा
राजस्व मण्डल ग्वालियर
(सिफ्ट कोर्ट) रीवा

झलुवा पिता सोनइया कोल फौत

वारिसगण

1. ददोली कोल उम्र लगभग 50 वर्ष
2. राजेन्द्र कोल उम्र लगभग 48 वर्ष
3. रज्जू कोल उम्र लगभग 46 वर्ष
4. सिया बाई उर्फ टोल्ली उम्र लगभग 43 वर्ष

चारो के पिता स्व० झलुवा कोल सभी निवासी ग्राम हरवाह तहसील
चंदिया जिला उमरिया म०प्र० अपीलार्थी क्र० 04 का हाल मुकाम झापी
तहसील चंदिया थाना उमरिया, जिला उमरिया म०प्र० निवासीगण

बनाम

नन्हुआ कोल फौत

वारिसगण

1. चमेलिया बाई पति स्व० नन्हुआ कोल
2. कमला कोल पिता स्व० नन्हुआ कोल
3. गणेश कोल पिता स्व० नन्हुआ कोल

केशव कोल फौत

वारिसगण

4. फुलझर बाई पति स्व० केशव कोल
5. टीटी कोल पिता स्व० केशव कोल
6. लक्ष्मी कोल पिता स्व० केशव कोल
7. कमली बाई पिता स्व० नन्हुआ कोल

सभी निवासी ग्राम हरवाह तहसील चंदिया जिला उमरिया म०प्र०

8. गंगा कोल
9. पन्नू कोल
10. मन्नू कोल तीनों के पिता स्व० पंचईया कोल उत्तरवादी क्र० 08, 09 एवं
10 निवासी ग्राम हरवाह तहसील चंदिया जिला उमरिया म०प्र०

कम 2

..... उत्तरवादीगण

115

II तिगण/उमरिया/म.रा. 2018/0681

मलुआ (मृत) / नन्दुआ (मृत)

19

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं आदि गाक्षर
<p>16-5-18</p> <p>(83)</p>	<p>आवेदक अभिभावक श्री. गिरीधर प्रसाद उपा।</p> <p>2. माननीय सदस्य महो० का रीवा आमजन नहीं हो सका</p> <p>3. वास्ते वापसी पर तर्क।</p> <p>पेशी तारीख. 19.7.18</p> <p>आज्ञा से रीडर</p> <p>गजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा</p>	<p>MP 19/7/18</p>
<p>19-7-18</p> <p>(55)</p>	<p>1- आवेदक को और से श्री गिरीधर अग्निहोत्री. सड्ड उपा।</p> <p>2- वास्ते कापती पर तर्क।</p> <p>C.F 30-8-18</p> <p>आज्ञा से रीडर</p>	<p>MP 19/7/18</p> <p>मोको पर अदि. म. रा. प्र. का सूचित किया। प. 8-18</p>
<p>30-8-18</p> <p>(63)</p>	<p>1- आवेदक को और से श्री गिरीधर अग्निहोत्री. सड्ड उपा।</p> <p>2- वास्ते कापती पर तर्क।</p> <p>C.F. 7-9-18</p> <p>आज्ञा से रीडर</p>	<p>MP 7-9-18</p>
<p>7-9-18</p>	<p>1- आवेदक गणा के अधिकारता श्री संतोष मिश्रा (कम) उपाधि/ गण्यता पर सुना गया।</p> <p>2- वास्ते आदेश।</p> <p>आज्ञा से रीडर</p>	<p>MP</p>
<p>11.9.2018</p>	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री संतोष मिश्रा को दिनांक 7/9/18 को गण्यता</p>	<p>MP</p>

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

3

प्रकरण क्रमांक... 24/निग/18/1681..... जिला ... उदोपि

मलुवाकोट वगैरे / न-इका कोट वगैरे

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2	<p>पूर्व पृष्ठ से के प्रश्न पर सुना गया। (2) मेरे द्वारा अपर आयुक्त श्री. ए. ए. का प्रकरण क्रमांक 159/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 12.01.2018 द्वारा निगरानी मैमो का अध्यापन किया गया। (3) अपर आयुक्त के प्रस्तावित आदेश दि. 12.01.2018 में कोई त्रुटि न पाये जाने के कारण अपर आयुक्त का आदेश स्थिर (Maintain) रखा जाता है। निगरानी अग्रहण (Not Admit) की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">by 11.9.2018</p>	